न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 06 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेंटगण
1. सांगाराम पुत्र जोगाराम 2. सोनाराम पुत्र जोगाराम 3. जीवाराम पुत्र जोगाराम 4. दुर्गाराम पुत्र जोगाराम 5. पेमाराम पुत्र जोगाराम 6. बींजलाराम पुत्र खेताराम 7. राणाराम पुत्र खेताराम जाति राईका निवासी राणासर कला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. निम्बाराम पुत्र कालूराम 2. भैराराम पुत्र कालूराम 3. रूपाराम पुत्र कालूराम 4. विरधाराम पुत्र कालूराम 5. हरीराम पुत्र कालूराम 6. हासीदेवी पत्नी कालूराम 7. गुणेशाराम पुत्र दीपाराम 8. गोकलाराम पुत्र दीपाराम 9. जेठीदेवी पत्नी दीपाराम 10. रूड़ाराम पुत्र दीपाराम 11. हीराराम पुत्र दीपाराम जाति राईका निवासी रेबारियों की बेरी, पटवार क्षेत्र राणासर कला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबंधक, एस. बी. आई. शाखा भूणिया 13. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धौरीमन्ना 14. मिरगा पत्नी विरधाराम जाति विश्नोई निवासी रेबारियो की बेरी, पटवार मण्डल राणासर कला तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौरीमन्ना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 72/2022 बउनवान निम्बाराम वगैरह बनाम गुणेशाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.01.2024 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री केसराराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा उतरदाता संख्या 01 से 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 06 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा रेबारियों की बेरी पटवार मण्डल राणासर कला तहसील धौरीमन्ना के खसरा संख्या 224/136 रकबा 3.3804 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण को

(... कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण की आराजी मौजा रेबारियों की बेरी के खसरा संख्या 150/2 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते हैं, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है, क्योंकि उक्त विप्रार्थीगण के खेत में से चलने वाला रास्ता प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 से 06 द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने पर एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उत्तरदाता ने अपने आवेदन के साथ परिशिष्ट 'ए' संलग्न कियां है। परिशिष्ट 'ए' के अनुसार खसरा संख्या 136 का कोई बंटवारा नहीं हो रखा है तथा तरमीम भी नहीं हुई है। तथा आवेदन के साथ सलंग्न परिशिष्ट 'ए' पटवारी राणासर कला द्वारा दिनांक 31.05.2022 को जारी किया गया है तथा आवेदन भी दिनांक 31.05.2022 को ही पेश किया गया है। इस परिशिष्ट 'ए' से यह भलीभांति प्रमाणित हो रहा है कि उतरदाता संख्या 01 से 06 द्वारा अपनी भूमि खसरा संख्या 136 का बंअवारा/तरमीम यह आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात की गई है। परन्तु उक्त तरमीम द्वारा उत्तरदाता द्वारा जानबूझकर अपने स्वयं के आने जाने हेतु रास्ता हेतु भूमि को नहीं छोड़कर तरमीम करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर भूमि खाली नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका

(... कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रिपोर्ट तहसीलदार धौरीमन्ना से तलब की गई जिसमें तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी को मौके पर भेजा उन्होने मौका देखे बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 से 06 के साथ मिलीभगत कर अपना निजी हित साधने हेतु उतरदाता संख्या 01 से 06 के कहे अनुसार गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अपीलार्थी के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प खसरा संख्या 150/4 में मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि में से ही रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है तो अपीलकर्ता द्वारा अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 150/2 के दूसरे कोने में अर्थात खसरा संख्या 133 के सेढे पर उतरदाता को रास्ता उपलबध करवाने हेतुं सहमत है। अपीलकर्ता द्वारा समर्पित भूमि में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन होने से उक्त विद्यालय अनेक छात्र छात्राऐं अध्ययनरत हैं तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित रास्ते से उतरदाता के अलावा और भी कई घरों की आबादी रास्ते से जुड़ रही है जिससे बच्चों के स्कूल आने जाने में सुविधा रहेगी तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित रास्ते के सामने चलने वाली डामर सड़क से जुड़ ने की सम्भावना बढ जायेगी तथा बच्चों व ग्रामीणों को स्कूल आने हेतु चार किमी की दूरी कम हो जायेगी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये आपत्ति की गई कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिका
बाड़मेर

जबकि कानून में प्रावधान है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए में भू अभिलेख निरीक्षक स्तर का कर्मचारी/अधिकारी मौका रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर सकता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। उत्तरदातागण द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में क्षतिपूर्ति की राशि तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाई। अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अंकन हो गया। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट को तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका देखा गया। जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति होने के बावजूद भी विचार नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 72/2022 बउनवान निम्बाराम वगैरह बनाम गुणेषाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.01.

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.06.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर